Rashtriya Sahara Edition Delhi
28.1.2017 Page 15
Height 13.78cm Width 19.50 cm

आधार से जल्द होगा ई पेमेंट

▶ बायोमेट्रिक्स और आधार संख्या के जरिए कर सकेंगे धन का लेनदेन

■ एसएनबी

नई दिल्ली।

सरकार जल्द ही आधार भुगतान सेवा शुरू करेगी। इसके जरिए लोग अपनी आधार संख्या और बायोमेट्रिक्स का उपयोग कर धन का लेनदेन कर सकेंगे। लेस कैश इकोनामी की दिशा में सरकार का यह कदम साबित होगा।

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने शुक्रवार को पत्रकारों से कहा, 'हम आधार भुगतान शुरू करने जा रहे हैं। इसके साथ लोगों को भुगतान के लिए अपना फोन ढोने की आवश्यकता नहीं होगी। वे किसी भी दुकान में जाकर अपनी आधार संख्या साझा कर सकते हैं और भुगतान करने या धन प्राप्त करने के लिए खुद के सत्यापन के लिए बायोमेट्रिक्स का उपयोग कर सकते हैं।'

आधार के लिए वसूली पर होगी कार्रवाई

नई दिल्ली (एसएनबी)। आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आधार पर पंजीयन और कार्ड जारी करना निशुल्क है। इसके लिए किसी भी व्यक्ति से कोई शुल्क या धनराशि नहीं ली जाती है। इसके बावजूद यदि कोई आधार पंजीयन केंद्र इसके लिए रुपए वसूलता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अभी 135 रजिस्ट्रार और 612 पंजीयक एजेंसियां आधार पंजीयन में लगी हुई हैं। देश में 47,192 आधार पंजीयन केंद्र हैं जहां यह काम हो रहा है। इनमें से 28,332 स्थायी केंद्र है। प्रतिदिन सात से आठ लाख आवेदन मिल रहे हैं।

प्रसाद ने पत्रकारों से कहा कि आधार भुगतान के लिए 14 बैंक साथ आए हैं और जल्द ही सेवा शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया, 'हम अन्य बैंकों के साथ भी बात कर रहे हैं। जल्दी ही सेवा शुरू की जाएगी।' सूत्रों के अनुसार कुछ बैंकों ने अपने एप्लीकेशन को विकसित कर लिया है और आंध्र प्रदेश में इसका परीक्षण हो रहा है।

मंत्री ने यह भी कहा कि एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) का उपयोग कर त्वरित भुगतान के लिए भारत इंटरफेस फार मनी (भीम) को भी आधार युक्त भुगतान प्रणाली से एकीकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि देश में 111 करोड़ लोगों के पास आधार संख्या है। लोग प्रायः निजता के उल्लंघन का मुद्दा उठाते हैं लेकिन आधार कानून लोगों की निजता का सम्मान करता है।

तैयारी

भविष्य के लिए आधार कार्ड बना शक्तिशाली जरिया : प्रसाद

प्रयोग के तौर पर गांवों में शुरू हो चुकी है लेनदेन की यह प्रक्रिया

दो वर्ष में आधार के उपयोग से 36,144 करोड़ की हुई बचत

लोगों की निजता का पूरा सम्मान करता है आधार कानून

14 बैंकों के साथ हो चुका है सरकार का करार

111 करोड़ लोगों को जारी हो चुका है आधार

49 करोड़ बैंक खाते देश में जुड़ चुके हैं आधार से

08 लाख आवेदन मिल रहे हैं आजकल आधार के लिए

33 करोड़ लेनदेन हो चुके हैं आधार से